

श्री मनोज विश्वास, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-18/3/43 का उत्तर प्रतिवेदन

(234)

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के पिपरा, कुसमाहा, अमाहरा, मजुआ एवं अन्य पंचायतों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है जिसकी पूर्व सूचना के बावजूद तटबंधों की मरम्मत, कटाव-रोधी कार्य, नदियों की उड़ाही एवं जल निकासी के आवश्यक कार्य समय पर नहीं कराए जाते हैं जिसके कारण प्रतिवर्ष जन-धन, फसलों एवं सार्वजनिक संपत्तियों की भारी क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से बचाव हेतु तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, कटाव-रोधी कार्य, नदियों की उड़ाही एवं जल निकासी योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रश्नगत पिपरा, कुसमाहा, अमाहरा, मजुआ पंचायत परमान नदी के तट पर अवस्थित है। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परमान नदी के दाँये तट पर 2.70 कि०मी० की लंबाई में पीपराघाट जमींदारी बाँध निर्मित है। स्थल की संवेदनशीलता के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है तथा बाढ़ अवधि के दौरान कटाव होने पर विभिन्न स्थलों पर तत्काल बाढ़ संघर्षात्मक कार्य भी कराया जाता है। पीपराघाट जमींदारी बाँध का सुदृढ़ीकरण कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य बाढ़ 2024 पूर्व कराया गया है। नदी से कटाव की स्थिति में पुनः बाढ़ 2025 पूर्व कटाव निरोधक कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है एवं तटबंध सुरक्षित है। वर्तमान में परमान नदी के तल की गहराई एन०एस०एल० से औसतन तीन मीटर है। बाढ़ अवधि के दौरान अत्यधिक वर्षापात की स्थिति में नदी का पानी अल्प अवधि के लिए एन०एस०एल० पर फैलता है, जलस्तर में कमी होने पर पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है। वर्तमान स्थलीय परिप्रेक्ष्य में परमान नदी के तल के उड़ाही की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत स्थलों के समीप स्थायी जल जमाव की समस्या नहीं है। आसन्न बाढ़ अवधि के दौरान प्रश्नगत स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। कटाव होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल सुरक्षित रखा जायेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-184/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/3/43 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-184/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-184/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

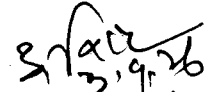
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-184/2026-

3956

पटना, दिनांक- 07/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

